

## अनुसूची - पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....  
.....छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष 2023 में आयोजित "पीएमटी-....." प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (.....) में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में M.B.B.S..... सीट आबंटित की गई है।
3. यह कि वर्ष 2023 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक..... रायपुर दिनांक 25.05.2018 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली-भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कड़िका 10, जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भली-भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद् द्वारा बन्धत पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।
6. यह कि इस बन्धत पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्धत पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्धत पत्र की राशि रुपये #..... शब्दों में (रुपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

\* एतद् 21-2/2018/1  
नॉ/55-4

(\*)  
संपत्ति का इस विवरण लिखें, यदि मकान है, तो मकान का पता, खसरा नं.; सरसिध व अनुमानित मूल्य यदि जमीन/धर्म है, तो खसरा एवं रकबा नं. एवं अनुमानित मूल्य

(#) अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु 25 लाख रुपये  
आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु 20 लाख रुपये

R



8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् में संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करुंगा/करुंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्त के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा ।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : -

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर , नाम, पता

आवेदक/निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर , नाम, पता

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

.....उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता



अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री .....आत्मज/आत्मजा श्री.....

निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय ~~21-02-2018~~ में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक ~~21-02-2018~~ दिनांक ~~25.05.2018~~ छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम - ~~2018~~ एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-

(क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था में कार्य करेगा/करेगी।

(ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।

(ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।

(घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र ~~2023-24~~ हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता .....

फोन नं. ....

अभिभावक

अभिभावक  
का  
फोटो

अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता  
का  
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर



प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित :-

1.....  
हस्ताक्षर

2.....  
प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं.  
01 का  
फोटो

1. गवाह

गवाह नं.  
02 का  
फोटो

2. गवाह

नाम : .....

पता : .....

8



(50/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

### शपथ-पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....  
निवासी ..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में  
स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में आबंटित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु  
अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

मेरे द्वारा स्क्रूटनी में प्रस्तुत किये मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी  
दस्तावेज मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है यदि इनमें कोई दस्तावेज असत्य/झूठे पाये जाते हैं तो मेरी  
जिम्मेदारी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

उपरोक्त मे यदि कोई न्यूनतः या झूठे प्रमाण पत्र पाये जाते हैं तो मेरा प्रवेश निरस्त सहित  
आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

गवाह :-

1. .... हस्ताक्षर, नाम, पता
2. .... हस्ताक्षर, नाम, पता

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह नं.  
1 का  
फोटो

गवाह नं.  
2 का  
फोटो

आवेदक  
का फोटो

नोट : एक गवाह आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

अम्बेडकर



(Rs. - 20 STAMP)

अनुलग्नक-I

## छात्र का आरवासन

1. मैं ..... (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/..... श्री/श्रीमती/सुश्री ..... जिसे ..... में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसमें उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आरवासन देता/देती हूँ कि.....  
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।  
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको बढ़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कारित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया ..... दिन ..... माह ..... वर्ष

रापथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

## सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) ..... दिन ..... माह ..... वर्ष

रापथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम



(RS- 20 STAMP)

अनुलग्नक-II

**माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता**

- श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को \_\_\_\_\_ (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबंध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
- मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
- मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के दृष्टान्त का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
- मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....  
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।  
(ख) मेरी संतान जान बुझकर अथवा भूलभुलक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
- एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा-तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
- एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा दृष्टान्त का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./नो. नं.:

**सत्यापन**

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:



// Documents for Admission in MBBS- 2023 (**All India Quota**) //

(Kindly arrange documents Serial wise)

1. Admission Profile
2. Allotment Letter (issued by MCC)
3. Admit Card (issued by NTA)
4. Rank Letter/ Result (Issued by NTA)
5. 10<sup>th</sup> Mark Sheet
6. 12<sup>th</sup> Mark Sheet
7. 12<sup>th</sup> Passing Certificate
8. Transfer & Character Certificate or Migration Certificate
9. Caste Certificate (if Applicable, in Prescribed Format)
10. If Admitted under P.H. Quota then P.H. Certificate (issued by Authorized Board)
11. EWS Certificate (if Applicable, in Prescribed Format)
12. Rural Service Bond (In Prescribed Format)
13. Discontinuation Bond (In Prescribed Format)
14. Affidavit (For Document in Prescribed Format)
15. Affidavit (For Anti Ragging in Prescribed Format)
16. Medical Fitness Certificate (issued by District Medical Board/ Allotted institute)
17. Self Attested Photocopy of Aadhar Card or Other Id Card
18. 02 Passport Size Photo
19. Scanned All Document

**Note – 02 Set Photo Copies of Above Document**

**For Fee Payment –**

**Two D.D.**

1. D.D. of Rs – 40,000/- in Favor of , DEAN,BRABB MEDICAL COLLEGE, RAJNANDGAON
2. D.D. of Rs – 10,000/- in Favor of , DEAN,BRABB MEDICAL COLLEGE, RAJNANDGAON

छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा के अधिसूचना क्रमांक  
एफ 21 -02 / 2018 / नौ / 55-4 दिनांक 25 मई 2018



// Documents for Admission in MBBS- 2023 (State Quota) //

(Kindly arrange documents Serial wise)

1. Admission Profile
2. Allotment Letter (issued by MCC)
3. Admit Card (issued by NTA)
4. Rank Letter/ Result (Issued by NTA)
5. 10<sup>th</sup> Mark Sheet
6. 12<sup>th</sup> Mark Sheet
7. 12<sup>th</sup> Passing Certificate
8. Transfer & Character Certificate or Migration Certificate
9. Caste Certificate (if Applicable, in Prescribed Format)
10. Domicile Certificate (In Prescribed Format)
11. Income Certificate (Income Certificate within last 3 years for OBC)
12. Physically handicapped issued by State Medical Board CG. (if Required)
13. Freedom Fighter issued by Collectorate in prescribed format, (if Required)
14. Armed forces certificate (issued by company commander) / Ex-servicemen certificate (issued by sainik kalyan board of residing district & endorsed by director state kalyan board , CG) (if Required, in Prescribed Format)
15. EWS Certificate (if Applicable, in Prescribed Format)
16. Rural Service Bond (In Prescribed Format)
17. Discontinuation Bond (In Prescribed Format)
18. Affidavit (For Document in Prescribed Format)
19. Affidavit (For Anti Ragging in Prescribed Format)
20. Confirmation Page (Issued by NTA)
21. Medical Fitness Certificate (issued by District Medical Board/ Allotted institute)
22. Self Attested Photocopy of Aadhar Card or Other Id Card
23. 02 Passport Size Photo
24. Scanned All Document

**Note – 02 Set Photo Copies of Above Document**

**For Fee Payment –**

**Two D.D.**

1. D.D. of Rs – 40,000/- in Favor of , **DEAN,BRABB MEDICAL COLLEGE, RAJNANDGAON**
2. D.D. of Rs – 10,000/- in Favor of , **DEAN,BRABB MEDICAL COLLEGE, RAJNANDGAON**

छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा के अधिसूचना क्रमांक  
एफ 21 -02/2018/नौ/55-4 दिनांक 25 मई 2018